

## **Enhancement of Ghaggar Land**

**\*33 DATED-27.12.2022 - SH. RAM KUMAR GAUTAM, M.L.A.:** Will the Chief Minister be please to state:-

**“Will the Chief Minister be pleased to state the reasons for which no action has been taken by the Government /HSVP on the assurance given by the Hon’ble Chief Minister that the enhancement of 76 acre of Ghaggar land other that the initially acquired 44 acre of land in Sector-24 of Panchkula will not be imposed on the Plot holders?”**

### **REPLY**

**Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana.**

Sir,

A statement is placed on the table of the house.

**Statement regarding Starred Assembly Question No.\*33  
Dated 27.12.2022**

**Enhancement of Ghaggar Land**

The cost of 76 acre Ghaggar land has already been excluded from the Rates of enhancement while computing the LFSS rate. Accordingly, the enhancement amount issued after 01.04.2015 has been reduced to Rs.1372.71 Per Sq. Mtr. as LFSS rate against the Original enhancement rates of Rs.8898.74 Per Sq. Mtr. The benefit of reduced enhancement rate has already been availed by the allottees of Sector-24 to 28 Panchkula including the allottees of Sector-24, who have availed the scheme. As per records, out of 19 Nos. Societies of Sector-24, 8 Nos. of Societies have availed the benefit so far.

## घग्गर भूमि का संवर्धन

\*33 दिनांक 27.12.2022 श्री राम कुमार गौतम, एम. एल. ए.:- मुख्यमंत्री कृप्या बताएं कि:-

क्या मुख्यमंत्री कृपया उन कारणों को बताने की कृपा करेंगे जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन पर सरकार एचएसवीपी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है कि घग्गर भूमि की 76 एकड़ की वृद्धि, इसके अलावा प्रारंभिक रूप से 44 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। पंचकूला के सैक्टर-24 की जमीन प्लॉट धारकों पर नहीं लगेगी?

उत्तर

महोदय,

श्री। मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा।

यह वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या \*33 दिनांक 27.12.2022 के संबंध में वक्तव्य

### **घग्गर भूमि का संवर्धन**

एलएफएसएस दर की गणना करते समय 76 एकड़ घग्गर भूमि की लागत को पहले ही वृद्धि की दरों में शामिल नहीं किया गया है। तदनुसार, 01.04.2015 के बाद जारी वृद्धि राशि को घटाकर एलएफएसएस में 1372.71 रुपये प्रति वर्ग मीटर मूल वृद्धि राशि 8898.74 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बजाय कर दिया गया है। घटी हुई वृद्धि दर का लाभ योजना का लाभ लेने वाले सैक्टर-24 के आबंटियों सहित 24 से 28 पंचकूला के सैक्टर के आबंटियों को पहले ही मिल चुका है। रिकार्ड के अनुसार सैक्टर-24 की 19 सोसायटियों में से अब तक 8 सोसायटियों ने लाभ उठाया है।